सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 29, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 21, *2024* *Asvina 29, Monday, Saka 1946- October 21, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2024

जी.एस.आर.62 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 2024 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 47 का संशोधन.- राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 2024 के नियम 47 के विद्यमान अन्तिम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः–

"परंतु यह भी कि यदि वर्ष 2024-25 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनुभव या सेवा के अनुभव, या, यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो तो, ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण केवल एक वर्ष तक के लिए दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा।"

[सं. एफ.7(4)डीओपी/ए-2/2023]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 15, 2024

G.S.R.62 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to amend the Rajasthan Governor's Secretariat (State, Subordinate, Ministerial and Class- IV) Service Rules, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called Rajasthan Governor's Secretariat (State, Subordinate, Ministerial and Class- IV) Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 47.- After the existing last proviso to rule 47 of the Rajasthan Governor's Secretariat (State, Subordinate, Ministerial and Class- IV) Service Rules, 2024, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that in case vacant post cannot be filled by promotion for want of prescribed experience on the lower post or experience of service or both, as the case may be, for the year 2024-25, a relaxation upto two years in experience of the lower post or experience of service or both, as the case may be, shall be given to fill vacant post. However where the experience prescribed for promotion is two years, relaxation shall be given for one year only. No one shall be promoted during the period of probation."

[No. F. 7(4) DOP/A-II/2023]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.